अध्याय 5

लेखांकन के मामले

5.1 जी-ओएलटीएएस मिलान

सूचना प्राप्त करना और चालानों को ऑनलाइन अपलोड करने द्वारा बैंको द्वारा प्रदत्त कर के रिकॉर्डों के रखरखाव करे लिए आय कर विभाग के कदम को ऑनलाइन कर लेखांकन प्रणाली कहा जाता है (ओएलटीएएस)। सरकारी कटौतीकर्ताओं के मामले में टीडीएस के रिकॉर्डों का रखरखाव और प्रेषणों की रिपोर्टिंग को जी-ओएलटीएएस कहा जाता है। सरकारी लेखांकन प्रणाली में प्रत्येक कटौतीकर्ता एक विशेष लेखा अधिकारी से जुड़ा होता है जो कि कटौतीकर्ता द्वारा बनाए गए बिलों को संसाधित करता है। वेतन एवं लेखा कार्यालय (पीएओ)/ज़िला राजकोष कार्यालय (डीटीओ)/चेक आहरण एवं वितरण कार्यालय (सीडीडीओ) को आईटीडी अधिसूचना सं. 41/2010 दिनांक 31 मई 2010 के अनुसार फॉर्म 24जी[15] को फाईल करने की आवश्यकता है। सरकार के एक कार्यालय के मामले में, जहाँ एक बैंक में कर जमा कराने से संबंधित चालान की प्रस्तुति के बिना कर केन्द्र सरकार के नामें किया गया है, पीएओ/ सीडीडीओ/डीटीओ या एक समतुल्य कार्यालय को फॉर्म 24जी फाइल करने की आवश्यकता है। एक एकल सात डिजिट लेखा कार्यालय पहचान संख्या (एआईएन) प्रत्येक लेखा अधिकारी को आवंटित किए जाऐंगे। प्रत्येक लेखा अधिकारी एक पूर्ण, सही और समेकित कटौती/एकत्रीकरण के सभी प्रकार के विवरण वाले प्रस्तुत करेगा। फॉर्म 24जी की फाइलिंग प्रत्येक डीडीओ के प्रति जो उसे उद्धृत करते हुए तिमाही तौरपर टीडीएस विवरणों को फइल करेगा एक बहि समायोजन पहचान संख्या (बीआईएन) के उत्पादन के साथ जुड़ी है। सांविधिक बाध्यता के लिए, एक बुक अंतरण प्रविष्टि तैयार की जाती है और एजी कार्यालय को भेजी जाती है। एजी सभी पीएओज़ से बुक अंतरण प्रविष्टियों को एकत्रित करता है ओर आयकर विभाग के पक्ष में एक समेकित ड्राफ्ट तैयार करता है।

ताकि कुल एआईएन धारकों की संख्या की तुलना में सक्रिय एआईएन धारकों की संख्या के सत्यापन के लिए और राज्य के एजी द्वारा रिपोर्ट की गई राशि के साथ प्रपत्र 24जी में राज्य सरकार एआईएन द्वारा रिपोर्ट की गई राशि में किसी भी अंतर को सत्यापित किया जा सके, मिलान टीडीएस इकाईयों का एक महत्वपूर्ण भाग है।

15 टीडीएस/टीसीएस पुस्तक समायोजन के बयान

एक एओ टीडीएस को सरकारी डिडक्टरों को बीआईएन के प्रसार और एआईएन धारकों द्वारा प्रपत्र 24जी की फाइलिंग के अनुपालन की निगरानी की आवश्यकता है। एआईएन धारकों द्वारा फाइल की गई प्रपत्र 24जी को उनकी टीडीएस प्रतिगमों को फाइल करने के लिए सरकारी डिडक्टरों को एओ (टीडीएस) द्वारा नोटिस जारी करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस अध्याय में, जी-ओएलटीएएस के मिलान संबंधी मामलों पर चर्चा की गई है।

5.2 राज्य सरकार एआईएन और राज्य महालेखाकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार टीडीएस का मिलान न होना

5.2.1 सीपीसी (टीडीएस) द्वारा दी गई सर्वत्र भारत की सूचना से पता चला कि राज्य एआईएन द्वारा दिया गया फार्म 24जी में राशि राज्य महालेखाकार द्वारा सूचित की गई राशि से अलग है जैसाकि तालिका 5.1 में दर्शाया गया है:

तालिका 5.1: राज्य सरकार की अपेक्षा राज्य महालेखकार द्वारा फार्म 24जी में दी गई राशि में अन्तर (₹ करोड़ में)

वि.व.	फार्म 24जी में राज्य सरकार एआईएन में दी गई राशि	वर्ष के दौरान समेकित कटौती में राज्य महालेखाकार द्वारा दी गई राशि	सकारात्मक अंतर
2012-13	71,633	8,880	62,753
2013-14	12,419	9,566	2,853
2014-15	11,865	11,938	(73)

स्रोत: डीआईटी (सीपीसी-टीडीएस)

5.2.2 राज्य स्तर पर, लेखापरीक्षा ने फार्म 24जी में राज्य एआईएन धारक द्वारा दी गई सुचना के अनुसार टीडीएस संग्रहण राशि और तमिलनाडू, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात राज्यो में राज्य महालेखाकर द्वारा दी गई सूचना के अनुसार संग्रहित टीडीएस का सत्यापन किया। राजस्थान के मामले में, राज्य एआईएन धारक और राज्य महालेखाकार के आंकड़ों में कोई त्रुटि नहीं थी। यद्यपि, राज्य एआईएन धारक और राज्य महालेखाकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार टीडीएस संग्रहण के बीच काफी अंतर था, इसलिए इससे लेखों में संग्रहण आंकड़ों की सटीकता प्रभावित हुई। तालिका 5.2 में विवरण दर्शाया गया है।

तालिका 5.2 राज्य सरकार एआईएन और संबंधित राज्य महालेखाकार द्वारा दी गई सूचनानुसार राशि में अंतर (₹ करोड़ में)

राज्य	वि.व.	फार्म 24जी में राज्य एआईएन धारक द्वारा सूचित किया गया टीडीएस संग्रहण	राज्य महालेखाकर द्वार सूचित किया गया टीडीएस संग्रहण	अंतर
तमिलनाडू	**2013-14**	1071.57	1,045.52	26.05
	2014-15	1040.73	1,053.83	(13.10)
महाराष्ट्र	**2013-14**	861.86	880.97	(19.11)
	2014-15	765.49	772.75	(7.26)
राजस्थान	**2012-13**	857.32	857.32	0
	2013-14	194.25	194.25	0
	2014-15	946.02	946.02	0
गुजरात	**2014-15**	432.81	414.21	18.60

सीआईटी (टीडीएस) चेन्नई ने उत्तर दिया (मार्च 2016) कि जी-ओलटास पुन: मिलान किया जाना था और अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, सीबीडीटी ने कहा कि राज्य एआईएन धारक और राज्य महालेखाकार के बीच टीडीएस आंकड़ो का पुन: मिलान राज्य सरकार एआईएन द्वारा दी गई गलत सूचना से उत्पन्न हुआ लेखाकरण मामला है। जांच सरकारी कटौतीकर्ताओं के क्षमता संवर्धन को बढ़ाकर मामले की जांच की जाएगी।

5.3 फार्म 24जी को प्रस्तुत करने में विलंब

प्रत्येक लेखा अधिकारी सभी प्रकार की कटौती/संग्रहण के विवरण देते हुए प्रत्येक महीने एक पूर्ण, सही और समेकित फार्म 24जी प्रस्तुत करेगा। फार्म 24जी को भरा जाना उक्त का उद्धरण करते हुए तिमाही टीडीएस विवरण देने वाले प्रत्येक डीडीओ के प्रति एक बुक समायोजन पहचान संख्या (बीआईएन) के तैयार करने से संबधित है।

लेखापरीक्षा ने पाया 2012-13 से 2014-15 की अवधि हेतु 18,703 एआईएन धारकों द्वारा फार्म 24जी प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ था। 9,194 मामलों में विलंब 90 दिनों से अधिक था। तालिका 5.3 में विवरण दर्शाये गये हैं:

तालिका 5.3 फार्म 24जी को प्रस्तुत करने में विलम्ब

विव	एआईएन धारकों की संख्या	विलंब की अवधि (दिनो में)					शामिल राशि ₹ करोड़ में
		1-14	15-30	31-60	61-90	>90	
2012-13	6,196	3,287	3,284	4,768	4,045	4,429	13,799
2013-14	6,411	4,597	4,224	4,569	3,780	3,071	14,674
2014-15	6,096	4,953	3,886	3,953	3,081	1,694	12,459
कुल	**18,703**						**40,932**

स्रोत: सीपीसी (टीडीएस)

डीडीओज द्वारा बुक समायोजन पहचान संख्या (बीआईएन) जो लेखा अधिकारी द्वारा फार्म 24जी के फाईल करने के बाद प्राप्त होती है, का प्रयोग करते हुए तिमाही विवरण फाईल करना आवश्यक होता है।

समय पर लेखा अधिकारी द्वारा फार्म 24जी केा प्रस्तुत करने में विफल रहने पर संबंधित डीडीओज द्वारा देय निर्धारित तिथि[16] के अंदर तिमाही टीडीएस विवरण फाईल करने में विलंब हुआ जिससे उनके टैक्स क्रेडिट के दावे के लिए करदाताओं को असुविधा हुई।

[16] 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर और 31 मार्च को समाप्त तिमाही के लिए निर्धारित तिथि क्रमश: 31 जुलाई, 31 अक्तूबर, 31 जनवरी और 15 मई है।

5.4 निष्क्रिय एआईएन धारक

लेखापरीक्षा ने पाया कि वि.व. 2012-13 से वि.व. 2014-15 की अवधि के दौरान, 3,792 एआईएन आबंटित किए गए थे। कुल संचयी एआईएन 8,791 थे जिसमें से केवल वि.व. 2014-15 के दौरान 6,861 एआईएन ही सक्रिय थे। शेष 1,930 एआईएन 2014-15 के दौरान निष्क्रिय रहे। तालिका 5.4 में सक्रिय एआईएन धारकों के विवरण दर्शाये गये हैं।

तालिका 5.4: एआईएन धाराकों के विवरण

वि.व.	आबंटित एआईएन	संचयी एआईएन	सक्रिय एआईएन	संचयी सक्रिय एआईएन
2012-13	2,331	7,330	1,918	5,842
2013-14	696	8,026	577	6,742
2014-15	765	8,791	624	6,861
कुल	**3,792**		**3,119**	

स्रोत: सीपीसी (टीडीएस)

एआईएन धारकों की सूची से उन अधिकारियों को जो अब एआईएन धारकों के कार्य नहीं कर रहे थे, हटाने में आईटीडी की विफलता के परिणामस्वरूप अभी भी एआईएन के अंतर्गत लेखा अधिकारियों के रूप में वैयक्तिक रूप से कार्य नहीं कर रहे थे।

एग्जिट क्रांफ्रेस के दौरान सीबीडीटी ने कहा कि आपत्तियों को ध्यान में रखा गया है और इस संबंध में सभी संभावित कदम उठाये जायेंगे।

5.5 सरकारी कटौतीकर्ताओं द्वारा टीडीएस में चूक

लेखापरीक्षा ने पाया कि सरकारी कटौतीकर्ताओं द्वारा टीडीएस में चूक[17] की गई थी, जिसका विवरण तालिका 5.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.5 सरकारी कटौतीकर्ताओं द्वारा टीडीएस में चूक

वि.व.	सभी सरकारी कटौतीकर्ताओं के चूकों की कुल राशि (₹ करोड़ में)	₹ एक करोड से अधिक की चूक वाले चूककर्ताओं की संख्या	₹ एक करोड से अधिक की चूक के संबंध में चूक की राशि
2012-13	2,867.40	306	1,153.93
2013-14	3,726.15	385	1,189.94
2014-15	2,022.46	235	631.02
कुल	**8,616.01**	**926**	**2,974.89**

स्रोत: सीपीसी (टीडीएस)

सीपीसी (टीडीएस) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, सभी कर चूककर्ताओं की चूक वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान ₹ 20,381.14 करोड़ तक थी जबकि सरकारी कटौतीकर्ता के मामले में यह

[17] धारा 220 (2) के अंतर्गत कम भुगतान, कम कटौती, भुगतान चूक पर ब्याज, कटौती चूक पर ब्याज, विलम्ब से फाईलिंग की फीस और ब्याज के संबंध में

₹ 8,616.91 करोड़ तक थी जो सभी कर कटौती की कुल चूक का 42.3 *प्रतिशत* थी।

5.6 निष्कर्ष

2012-13 से 2014-15 के दौरान फार्म 24जी में राज्य सरकार एआईएनज की सूचनानुसार राशि राज्य महालेखाकार द्वारा सूचित राशि से भिन्न थी, जो जी-ओलटास के गैर पुनर्मिलान को दर्शाती है। 18,703 एआईएन धारकों द्वारा 24जी प्रस्तुत करने में विलंब हुआ। वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान, कुल आबंटित एआईएन के 19.3 *प्रतिशत* निष्क्रिय थे। उक्त अवधि के दौरान ही सरकारी कटौतीकर्ताओं के मामले में की गई चूक सभी श्रेणियों के चूककर्ताओं द्वारा चूक का 42.3 *प्रतिशत* थी।

5.7 सिफारिशें

लेखापरीक्षा सिफारिश करती है।

क. सीबीडीटी राज्य महालेखाकार (मले) द्वारा सूचित कर भुगतान और फार्म 24जी द्वारा एआईएन धारक द्वारा सूचित किये गये टीडीएस के पुनर्मिलान को सुनिश्चित कर सकता है।

सीबीडीटी ने कहा (दिसम्बर 2016) कि आपत्तियों का ध्यान में रखा गया है और क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए कार्रवाई योग्य सूचना प्राप्त करने के लिए सीपीसी स्तर पर इस क्षेत्र में उपयुक्त विश्लेषण किया जाएगा।

ख. सीबीडीटी एआईएन धारकों द्वारा फार्म 24जी को फाईल करने में बेहतर अनुपालना के लिए कदम उठा सकता है ताकि समय पर तिमाही विवरण फाईल करने में डीडीओ को सक्षम बनाया जा सके।

सीबीडीटी ने कहा (दिसम्बर 2016) कि फार्म 24जी की फाईलिंग में विलंब को संबंधित टीडीएस इकाई द्वारा देखा जा रहा है। यद्यपि, सीपीसी आवश्यक डाटा या ऐसी अन्य सहायता प्रदान कर सकता है जिसकी आवश्यकता इस कार्य को करने में एओ को हो सकती है।

ग. विभाग निष्क्रिय एआईएन धारकों के लिए कारणों की समीक्षा कर सकता है और फार्म 24जी के प्रस्तुतीकरण की बेहतर निगरानी के लिए उन्हें हटा सकता है जो अब लेखा अधिकारी का कार्य नहीं कर रहे हैं।

सीबीडीटी ने कहा (दिसम्बर 2016) कि आपत्तियों को ध्यान में रखा गया है और इस संबंध में सभी संभावित कदम उठाये जाऐगें।

नई दिल्ली **(संजय कुमार)**
दिनांक: 25 जनवरी 2017 **प्रधान निदेशक (प्रत्यक्ष कर)**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**
दिनांक: 25 जनवरी 2017 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**